

औद्योगिक समाधान दिवस में निवेशकों, उद्यमियों व उद्योगों से संबंधित लगभग 142 प्रकरणों का निराकरण: प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

समस्या से संबंधित प्रकरण के सम्बन्ध में अधिकारी के मोबाइल पर सीधे संवाद करने हेतु शिकायतकर्ताओं को संबंधित अधिकारी का मोबाइल नम्बर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाय: संजीव सरन

समस्त विभाग समयबद्ध रूप से निर्णयों को लागू करना सुनिश्चित करें: प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

वरुणा ब्रिज के निर्माण में आने वाली लागत का आंगणन (स्टीमेट) लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र प्रस्तुत किया जाय: संजीव सरन

लखनऊ: 13 नवम्बर, 2014

उद्योगों से संबंधित समस्याओं व प्रकरणों के त्वरित निराकरण व नियमित अनुश्रवण हेतु 'उद्योग बन्धु' द्वारा आयोजित समाधान दिवस में आज निवेशकों, उद्यमियों व उद्योगों से संबंधित लगभग 142 प्रकरणों का निराकरण किया गया। औद्योगिक समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक गुरुवार को पिकप भवन में किया जाता है।

समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु - श्री संजीव सरन ने कहा कि "औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार आवश्यकतानुसार प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उद्योगों के संचालन व स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति हेतु राज्य सरकार के सभी विभागों को उद्योगों के संचालन व स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपने दायित्वों के प्रति सजग रहते हुए प्रकरणों के समाधान हेतु त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपेक्षित सहयोग करने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि और अधिक बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने के लिए समस्त विभागों को उद्योगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो विभाग इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को समय से लागू नहीं करेंगे उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री सरन ने कहा कि समस्या से संबंधित प्रकरण के सम्बन्ध में अधिकारी के मोबाइल पर सीधे संवाद करने हेतु सभी शिकायतकर्ताओं को संबंधित अधिकारी का मोबाइल नम्बर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिये कि फुलपुर और सथरिया के मध्य वरुणा नदी के पुल के निर्माण में आने वाली लागत का आंगणन (स्टीमेट) लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने पसवाड़ा पेपर मिल के प्रदूषण सम्बन्धी प्रकरण पर अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने बताया कि विगत समाधान दिवसों में लगभग 142 प्रकरणों का समाधान किया गया जिसमें प्रमुख रूप से निवेश मित्र व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न मण्डलों के 30 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित 32 प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कराये गये। इसी प्रकार विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित 36 प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कराये गये। इसी प्रकार यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के 53, वन विभाग के 01, राजस्व विभाग के 01, नगर विकास विभाग के 02, गृह विभाग के 01, लघुउद्योग विभाग के 07 तथा यू0पी0पी0सी0एल0 के 09 प्रकरणों का समाधान किया गया।

आज समाधान दिवस में प्रदेश के उद्यमियों के विभिन्न क्षेत्रों व सरकारी विभागों से सम्बन्धित प्रकरणों के समाधान हेतु विचार किया गया। अधिकतर प्रकरणों का निराकरण कर सम्बन्धित विभाग को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु-सुश्री कंचन वर्मा, सहित उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय प्रतिभाग किया।